राजस्थान राज-पत्र

विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

चैत्र 2, सोमवार, शाके 1920 मार्च, 23, 1998

भाग 4 [ग]

उपखण्ड [I]

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये [सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए] सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक [क-2] विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 18, 1998

जी. एस. आर. 108/:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 में, इनके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्-

संशोधन

उक्त नियमों मे -

1. नियम 6-ख में संशोधन:- अभिव्यक्ति "सहायक पशु शल्य चिकित्सक/ पशुपालन विस्तार अधिकारियों के पदों पर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पशु चिकित्सा अधिकारी/पशुपालन विस्तार अधिकारियों के पदों पर" प्रतिस्थापित की जायेगी,

2. अनुसूची "क" मे संशोधन:- [I] शीर्षक "पशु चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग के कनिष्ठ ग्रेड-II के पदों के अधीन क्रम संख्या 1 के सामने स्तम्भ सं02 मे और शीर्षक " पशु प्रजनन और अनुवांशिकी अनुभाग के कनिष्ठ ग्रेड-II के पद के अधीन क्रम संख्या 1 के सामने क्रम स्तम्भ संख्या 2 मे आई अभिव्यक्ति [पशु शल्य चिकित्सक के स्थान पर अभिव्यक्त वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतिस्थापित की जायेगी।

II शीर्षक "चिकित्सा और पशुपालन अनुभाग के कनिष्ठ ग्रेड-II के पद "के अधीन क्रम संख्या 2 के सामने स्तम्भ संख्या 2 मे आईअभिव्यक्ति" सहायक पशु शल्य चिकित्सक के स्थान पर अभिव्यक्ति पशु चिकित्सा अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 1 [II] कार्मिक/क-2/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

सूरज मल केडवाल

उप शासन सचिव